न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 07/2023
(जीसीएमएस संख्या 2023/15)

निर्णय दिनांक 28-07-25

1. सोनू पुत्री नंदलाल जाति आचार्य निवासी वार्ड नं. 6 हरासर तहसील चुरू जिला चुरू
2 अंजना पुत्री बंशीलाल जाति आचार्य निवासी वार्ड नं. 6 हरासर तहसील चुरू जिला चुरू

—अपीलांट्

—बनाम—

1. नंदलाल पुत्र रामचन्द्र जाति तारग निवासी हरासर तहसील चुरू जिला चुरू
2. बंशीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति तारग निवासी हरासर तहसील चुरू जिला चुरू
3. हरिराम पुत्र शिवलाल जाति बिश्नोई सा. वार्ड नं. 12 आदर्श बस्ती तहसील कोलायत जिला कोलायत।
4. श्रीमती शारदा देवी पत्नी ईमीचंद निवासी कोलायत जिला बीकानेर
5. पुष्पादेवी पत्नी रूपाराम जाति तारग निवासी खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
6. विमला देवी पत्नी जेठाराम जाति तारग निवासी खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
7. साउ पत्नी उदाराम जाति तारग निवासी खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
8. सीताराम पुत्र भंवरराम जाति तारग निवासी खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
9. स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान
10. उप पंजीयक, कोलायत

—रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 09–12–2022
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री तेजकरण गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 3
3. श्री मिलापचंद धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 09–12–2022 जिसके द्वारा अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की ग्राम खिन्दासर में खसरा नं. 326 में 4.6700 हैक्टर, खसरा नंबर 327 में 0.7600 हैक्टर, खसरा नं. 328 में 2.0300 हैक्टर, खसरा नं. 329 में 14.9800 हैक्टर, खसरा नं. 330 में 1.2600 हैक्टर, खसरा नं. 331 में 0.9000 हैक्टर, खसरा नं. 334 में 0.0800 हैक्टर कुल तादादी 24.6500 हैक्टर सामलाती खातेदारी कृषि भूमि अपीलाण्टान के दादा रामचन्द्र के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संयुक्त संपति है। उक्त आराजी मुतनाजा पुश्तैनी कृषि भूमि होने से अपीलाण्टान का बाई बर्थ हक हिस्सा निहित होने से अपीलाण्टान द्वारा एक वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना–पत्र बाबत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना–पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली उपखण्ड़ अधिकारी, कोलायत के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समक्ष तलबी व जवाब स्टेट की स्टेज पर चल रही थी तथा दिनांक 09–12–2022 को बिना प्रतिवादीगणा की तलबी के बिना सरकार का जवाब प्राप्त किये एकतरफा तौर पर प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थानकारी काश्तकारी अधिनियम अपीलांण्टान का निरस्त कर दिया गया।

उन्होने आगे कथन किया कि प्रार्थना–पत्र 212 में किसी राजकीय पेरोकार अथवा अन्य किसी पक्षकार द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब नही दिया गया था ना ही कोई दस्तावेज पेश किया मात्र पेरोकार राज के कथन अनुसार वादगत भूमि को मोरूसी भूमि नही मान कर प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि है जो अपीलाण्टान के दादा रामचन्द्र के नाम थी। अपीलाण्टान के दादा रामचन्द्र का देहान्त होने के बाद विरासतन नामान्तरणकरण संख्या 237 दिनांक 05–06–2007 से मूली देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र, अन्नाराम, सम्पतराम, बंशीलाल, नन्दराम, विनोद, श्रवण पिसरान रामचन्द्र के नाम दर्ज अभिलेख हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरोकार राज द्वारा किया गया मौखिक कथन झुठा है। उन्होने आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि मोरूसी भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है तथा सह खातेदार को अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नही है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पुत्र व पुत्री को समान अधिकार हासिल है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्टान का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जावे। उन्होने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज संख्या 1, आरआरटी 2018(2) पेज संख्या 976, आरआरटी 2016(1) पेज संख्या 29, डीएनजे पेज संख्या 147, आरआरटी 223(1) पेज संख्या 372, आरआरटी 2015(1) पेज संख्या 100, आरआरटी 2015(1) पेज संख्या 474, आरआरटी 2011(2) पेज संख्या 819, आरआरटी 2010पेज संख्या 255, आरआरटी 2008(1) पेज संख्या 154, डीएनजे 2023(1) पेज संख्या 188 प्रस्तुत किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांण्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा प्रस्तुत कर रखा है जो झुठे तथ्यों पर आधारित है। वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी कृषि भूमि नही है यह तथ्य रिकॉर्ड से साबित होता है। अपीलाण्टान का उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है ना ही कभी रहा है। अपीलाण्टान द्वारा जिस विवादग्रस्त भूमि के बाबत अपील पेश की है वह पैतृक कृषि भूमि नही है इसलिए अदालत मातहत नही धारा 212 का प्रार्थना पत्र उचित रूप से खारिज किया है। उन्होने आगे कथन किया कि अभिभाषक अपीलाण्टान द्वारा अपीला मीमो में केवल मात्र यह कथन किया है कि अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलाण्टान को सबूत सुनवाई का कोई अवसर नही प्रदान किया यह स्पष्ट नही किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित निर्णय गलत कैसे है? अभिभाषक अपीलाण्टान द्वारा प्रस्तुत अपील फर्जी व सारहिन होने के कारण खारिज फरमाई जावे। उन्होने आगे बताया कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्टान ना तो खातेदारी काश्तकार है ना ही उनका कोई हक, हीत, हिस्सा बनता है ना ही किसी प्रकार का कब्जा है। उन्होने आगे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1106/2465 अविभाजित हिस्सा है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 काबिज काश्त है। मौका पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की फसल काश्त की हुई है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में यदि दौराने दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन होने से अपील खारिज फरमाई जावे। उन्होने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2022 पेज संख्या 745, डीएनजे 217 पेज संख्या 145 प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का उल्लंघन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

05–04–2022 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर पक्षकारान के तलबी हेतु पत्रावली नियत की गई। प्रकरण में 10 अप्रार्थीगण थे तथा प्रकरण तलबी के स्तर पर लंबित था। किसी भी पक्षकार की तलबी करवाए बिना आदेशिका दिनांक 09–12–2022 को प्रकरण में अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसका आधार यह लिया गया कि पैरोकार राज ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि विवादित आराजी मौरूसी भूमि नही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में जारी नही की जा सकती है।

पत्रावली पर स्टेट की ओर से कोई लिखित जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। बिना अप्रार्थीगण की तलबी, बिना अप्रार्थीगण को सुने, बिना स्टेट का लिखित जवाब लिए, तलबी की स्टेज पर प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिक प्रक्रियात्मक त्रुटि की श्रेणी में आता है। अगर प्रकरण में गुणावगुण पर विचार करे तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर कोई तार्किक विवेचना नही की गई है। इस बिन्दुओ को बिना डिस्कस किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अपीलाधीन आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादग्रस्त आराजी मौरूसी नही है तथा समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है इस पर हमारा अभिमत यह है कि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2062–65 ग्राम खींदासर के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि पूर्व में अपीलाधीन भूमि अपीलांट के दादा रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। रामचन्द्र के फौत होने बाद विरासतन रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हुई है। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा यह अराजी जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को बेचान कर दी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस विवेचना से यह स्थिति तो निर्विवाद है कि अपील आराजी अपीलांट के दादा रामचन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो विरासतन रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हुई । संपति का विवाद पारिवारिक सदस्यों के मध्य है। इस स्थिति में वाद के निस्तारण तक संपति का संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है।

प्रश्नगत संपति पैतृक संपति है अथवा नही? रेस्पोडेन्ट को उसे विक्रय का अधिकार है अथवा नही? वादी को वाद कारण हासिल है या नही? वाद पक्षकारान के कुसंयोजन के कारण चलने योग्य है ना नही? ये समस्त बिन्दू वाद में बाद कायम तनकियात जरिये साक्ष्य तय होने है। तब तक अपीलाधीन आराजी का संरक्षण किया जाना न्यायोचित है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 09–12–2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकरो को सुनवाई का मौका देकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ का विवेचन कर पुनःविधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28-07-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर